COVID-19
Most Urgent

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी./2020/ 810 दिनांक : 7/7/2020

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन),
राजस्थान

विषय : **"जन जागरूक अभियान"** की रिपोर्ट भिजवाये जाने के संबंध में।
संदर्भ : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 दिनांक 19.06.2020 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.06.2020 से 30.06.2020 तक चलाये गये "जन जागरूक अभियान" की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में निदेशालय की ई–मेल आई.डी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in एवं rajcovid19@gmail.com पर दिनांक 08.07.2020 तक शीघ्र ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डा0 रवि प्रकाश शर्मा)
अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी./2020/ 810 दिनांक : 7/7/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
5. राज्य नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
6. प्रभारी, केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र संबंधितों को ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.06.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु तथा संक्रमण की श्रृंखला को तोडने व आमजन का जीवन बचाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं तथा राज्य सरकार इसके लिए पूर्व से ही कटिबद्ध है। जिससे प्रदेश में कोविड–19 के संकमण एवं इससे होने वाली मृत्युओं को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। कोविड–19 से होने वाली मृत्युओं की समीक्षा के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर के सामने आया है कि कोविड–19 से होने वाली लगभग 70 प्रतिशत से अधिक मृत्यु पूर्व से ही अन्य दीर्घकालीन गंभीर बीमारियों की वजह से हुई है। आने वाले कुछ महिनों में बारिश के पश्चात जल–जनित व वेक्टर जनित रोगों के भी बढने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में कोविड–19 के साथ–साथ जल–जनित व वेक्टर जनित, मच्छर जनित बीमारियों, गैर संचारी रोग व टी. बी. पर भी नियंत्रण रखना अति आवश्यक है।

कोविड–19 से बचाव एवं नियंत्रण, जल–जनित, वेक्टर जनित, मच्छर जनित बीमारियों, गैर संचारी रोग व टी. बी. पर नियंत्रण एवं इनसे होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान के दौरान सर्वे दल द्वारा कोविड–19 के साथ–साथ जल–जनित व वेक्टर जनित, मच्छर जनित बीमारियों, गैर संचारी रोग, मलेरिया, डेंगू, स्वाईन फ्लू व टी. बी. आदि रोगों का सर्वे कार्य भी संपादित किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त अभियान में निम्न गतिविधियां आयोजित की जावेगीः–

1. कोविड–19 हेतु एक्टिव सर्वे कार्य
2. टी.बी. के एक्टिव केस की पहचान
3. गैर संचारी रोगों की जांच एवं जागरूकता
4. मलेरिया, डेंगू, स्वाईन फ्लू एवं डायरिया (उल्टी एवं दस्त रोग) की सर्विलेन्स एवं जागरूकता

1. कोविड–19 हेतु एक्टिव सर्विलेन्स कार्य :–

- मिशन लाइफ सेविंग के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर समस्त हाई रिस्क ग्रुप को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कर एवम उनकी लाइन लिस्ट मिशन लीसा एप (MISSION LISA APP) में संकलित की जावे।
- जिन क्षेत्रों में घर–घर सर्वे किया जाए उन क्षेत्रों में स्वयं सेवकों की पहचान कर उनको प्रेरित किया जाए कि वे हाई रिस्क ग्रुप से प्रतिदिन संपर्क करें। किसी हाई रिस्क ग्रुप के मरीज में कॉविड–19 के लक्षण दिखाई देंने पर तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं और आवश्यकता होने पर चिकित्सालय में उपचार करवाये।
- एक से अधिक रोग की अवस्था वाले रोगियों को जागरूक करना, वृद्धजन व कोविड–19 के अधिक खतरे वाले समूह को संक्रमण से बचाव के दिशा–निर्देशों की जानकारी दी जावे। जैसे मॉस्क पहनना, समय–समय पर हाथ धोते रहना एवं घर पर ही रहना, सोशल डिस्टेन्सिंग इत्यादि।
- संबंधित क्षेत्र के स्वयं सेवकों की सूची उनके मोबाइल नंबर तथा पते की विस्तृत जानकारी आशा, एएनएम एवं चिकित्सा अधिकारी के पास संकलित की जावे तथा घर घर विजिट के दौरान वालंटियर का नाम क्षेत्र के निवासियों को बताया जावे और संभव हो तो घर घर भ्रमण के दौरान उन्हें भी साथ लेकर जावे।
- सेक्टर चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण करवाया जावे और प्रतिदिन हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों का फॉलो अप करने के लिए प्रेरित किया जावे।

- आईसीएमआर गाईडलाईन्स के अनुसार सिम्टोमेटिक केस की पहचान एवं उनका आरटी–पीसीआर टेस्ट।
- चिन्हित सिम्टोमेटिक केस के सैम्पल लेने हेतु एएनएम द्वारा रिपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आर.आर.टी. द्वारा सामान्य एवं गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही।
- सुपरवाईजरी स्टॉफ द्वारा ओपीडी में आए रोगियों की पहचान करना, दवाईयों की दुकानों पर आईएलआई/एसएआरआई के उपचार के लिए आने वालों की पहचान करना एवं फील्ड स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से इनका आरटी–पीसीआर टेस्ट करवाया जाना।
- यात्रियों एवं माइग्रेन्ट को स्वयं की सुरक्षा हेतु जागृत करना जिससे कोविड–19 संक्रमण फैलने पर नियंत्रण हो सके।
- संबंधित आई.ई.सी. सामग्री रोगियों की दी जावे।

2. **गैर संचारी रोगों की जांच एवं जागरूकता :–**

- समुदाय आधारित आकंलन चैक लिस्ट की सहायता से, 30 वर्ष की उम्र से अधिक के जनसंख्या समूह की जांच एवं अधिक खतरे वाले केस (04 से अधिक का स्कोर) को जांच की पुष्टि के लिए नजदीकी चिकित्सालय पर रैफर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के अनुसार सभी चिन्हित व्यक्तियों को उपचार निरंतर रखने की सलाह दी जावे तथा जिन्होंने उपचार छोड दिया है उनका उपचार भी निरंतर रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।
- कीमो थैरेपी एवं डायलाइसिस के लिए पंजीकृत रोगियों को उचित उपचार हेतु स्वास्थ्य केन्द्र आने के लिए प्रेरित करना एवं कोविड–19 से बचाव के लिए जागरूक करना।
- एक से अधिक रोग की अवस्था वाले रोगी, जिनका उपचार चल रहा है, का डेटाबेस राज्य के एनसीडी ऐप एवं अन्य संबंधित पोर्टल पर है, इसका उपयोग करते हुए, इन व्यक्तियों तक पहुंचना आवश्यक है एवं गृह भ्रमण के दौरान उन्हें परामर्श भी दिया जावे।

3. **टी.बी. के लिए एक्टिव केस की खोज :–**

- संभावित केस के सामान्य लक्षणों एवं चिन्हों की टी.बी. हेतु पहचान की जावे जैसे 02 सप्ताह या इससे अधिक कफ की समस्या, 02 सप्ताह या इससे अधिक बुखार, वजन कम हो जाना एवं खांसी एवं कफ के साथ खून आना (Haemoptysis)।
- लक्षण पाये जाये पर व्यक्ति को स्प्यूटम कप एवं लेबोरेट्री फॉर्म दिया जाकर, नजदीकी चिकित्सालय पर रैफर किया जावे।
- रोगी के स्तर पर टी.बी. की दवाओं का पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- टी.बी. रोगियों को दवा का सेवन लगातार करते रहने के लिए परामर्श दिया जावे।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर, अगर किसी रोगी में टी.बी. के लक्षण दिखते है तो कोविड जांच के साथ टी.बी. की जांच हेतु स्प्यूटम सैम्पल भी लिया जावे। स्प्यूटम सैम्पल की जांच जिला स्तर पर चिन्हित जांच केन्द्र पर की जावे।

4. **मलेरिया, डेंगू एवं डायरिया (दस्त रोग) की सर्विलेन्स एवं जागरूकता :–**

(i) **मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण :–**

- आरडीटी द्वारा बुखार के रोगियों की मलेरिया जांच।

- मलेरिया पॉजिटिव केस का उपचार एवं रेडिकल उपचार पूरा करने के लिए फोलोअप।
- मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी के उपयोग के सर्वेक्षण के लिए घर–घर विजिट एवं परामर्श।
- वेक्टर (एडीज) की ब्रिडिंग घर एवं आसपास के क्षेत्र में रोकने के लिए क्षेत्रों की पहचान एवं जागरूकता।
- घरों पर एवं चिन्हित क्षेत्रों पर इनडोर रेसीड्यूअल स्प्रे (IRS) के छिड़काव से पहले सभी को सूचना दी जावे।

(ii) **डायरिया (उल्टी एवं दस्त रोग) नियंत्रण :–**

- ओ.आर.एस. पैकेट का वितरण, प्रत्येक घर को 01 पैकेट एवं 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले घर को 02 पैकेट।
- डायरिया रोग से ग्रसित 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ओ.आर.एस. एवं जिंक की दवा का वितरण, प्रति बच्चे को 02 ओ.आर.एस. पैकेट एवं 14 जिंक की गोलियाँ।
- पानी की अत्यधिक कमी (डीहाईड्रेशन) के केस को ओ.आर.एस. देकर स्वास्थ्य केन्द्र पर रैफर किया जावे।
- साबुन एवं पानी से हाथ धोने का प्रदर्शन करके समुदाय को सिखाया जावे (डिमॉन्स्ट्रेशन)।
- डायरिया से बचाव एवं नियंत्रण के लिए आई.ई.सी. सामग्री का वितरण।

अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन, क्रियान्वयन एवं निरीक्षण के लिए निम्न गतिविधियाँ की जाएगी :–

- सभी फील्ड गतिविधियाँ आशा सहयोगिनी एवं एएनएम द्वारा की जावेगी। आशा सहयोगिनी एवं एएनएम यह कार्य स्वास्थ्यकर्मियों एवं सुपरवाईजर के परामर्श अनुसार करेंगी।
- आशा सहयोगिनी एवं एएनएम द्वारा प्रति दिवस कम से कम 20 घरों का सर्वेक्षण किया जावे।
- घर–घर सर्वेक्षण के दौरान आशा सहयोगिनी एवं एएनएम द्वारा कोविड–19 संक्रमण से बचाव के सभी महत्वपूर्ण उपाय किये जावे। जैसे मॉस्क पहनना, ग्लब्स पहनना, सैनेटाईजर का उपयोग करना एवं सोशल डिस्टेन्सिंग आदि की पालना की जावे।
- प्रत्येक आशा सहयोगिनी एवं एएनएम को लिखित में मुख्य बिन्दुओं की सूची रैफरेन्स हेतु दी जावे।
- निश्चित समय में कार्य पूर्ण करने के लिए एएनएम अपने क्षेत्र की आशा के लिए मॉइक्रोप्लान बनाएगी। वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य गतिविधियाँ जैसे एमसीएचएन दिवस इत्यादि को किसी भी कारण से बाधित नहीं किया जाए।
- घर–घर किए गए सर्वेक्षण कार्य के सत्यापन हेतु सुपरवाईजर, प्रत्येक आशा सहयोगिनी एवं एएनएम के कार्यक्षेत्र में कम से कम 05 प्रतिशत घरों का दौरा करेगें।

ग्राम स्तर पर वीएचएसएनसी समिति की इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम स्तर पर निम्न कार्य किए जाएंगे :–

- कोविड–19 जागरूकता हेतु विशेष मासिक बैठकों का आयोजन किया जावे। इसमें आपस में आवश्यक सुरक्षित दूरी रखते हुए एवं बचाव के उपाय अपनाते हुए, समुदाय के लोग, पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, गांव के युवा, स्वेच्छिक योगदान देने वाले व्यक्ति सम्मिलित होगें।

- प्रतिमाह गांव में स्वच्छता की गतिविधियाँ की जावेंगी एवं व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- समुदाय को बचाव के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जागृत किया जावे। जैसे मॉस्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता, सार्वजनिक व खुले स्थानों पर थूकना बंद करना एवं आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखना। इसके लिए आई.ई.सी. गतिविधियाँ भी की जावे। जैसे :– दीवार लेखन इत्यादि।
- समुदाय को स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी रखने के लिए जागृत किया जावे। जैसे :– बुखार या फ्लू के लक्षण दिखने की निगरानी करें।
- समुदाय के स्तर पर सर्विलेन्स करें एवं किसी व्यक्ति में लक्षण दिखने पर 108/104 को सूचना दें।
- समुदाय में सही जानकारी पहुंचायी जाए, मिथक दूर किए जाए एवं कोविड–19 से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया जाए, बाहर से आने वाले व्यक्तियों तथा कोविड–19 रोगियों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाए, यह जागरूकता भी की जावे।
- गांव में किसी भी सामाजिक आयोजन में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं हो एवं आपस में सुरक्षित दूरी होना सुनिश्चित किया जावे।
- घरों में मच्छरदानी का उपयोग किया जाए एवं मच्छरों को पैदा होने से रोका जाए।
- पीने के स्वच्छ पानी का उपयोग किया जावे, उल्टी एवं दस्त रोग से बचाव एवं उपचार हेतु जागरूकता की जावे एवं अत्यधिक पानी की कमी होने पर स्वास्थ्य केन्द्र पर रैफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- वार्षिक निर्बंध राशि का उपयोग इन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

ऊपर दी गई समस्त गतिविधियों का फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन कर रिपोर्ट संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न : प्रपत्र

19/06/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
8. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.

(संजय कुमार) 19.6.20
शासन उप सचिव

उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीएचसी, सीएचसी, ब्लॉक, जिला स्तर हेतु
दैनिक रिपोर्टिंग प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण	दैनिक	प्रोग्रेसिव
1	**क्षेत्र का ब्यौरा**		
1.1	लक्षित घरों की संख्या		
1.2.	सर्वे किए गए कुल घरों की संख्या		
1.3	चिन्हित कोमोर्बिड व्यक्तियों की संख्या*		
1.4	05 साल से छोटे बच्चों की संख्या		
2	**कोविड हेतु एक्टिव सर्वे**		
2.1	कोविड–19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों की संख्या		
2.2	कोविड–19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों की संख्या जिनके नमूने आरटीपीसीआर जांच हेतु लिए गए		
3	**टी.बी. हेतु एक्टिव सर्वे**		
3.1	संभव केस जिनके स्प्यूटम जांच हेतु लिए गए		
3.2	माइक्रोस्कॉपी जांच में स्प्यूटम पॉजिटिव पाए गये केसेज		
3.3	CBNAAT से जांच हेतु भेजे गए स्प्यूटम सैम्पल्स की संख्या		
4	**गैर संचारित रोगों हेतु एक्टिव सर्वेलेन्स**		
4.1	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति		
4.2	इनमें मे से हाईरिस्क के रूप में चिन्हित व्यक्तियों की संख्या		
4.3	कन्फर्म गैर संचारित रोगों से ग्रसित केसेज		
4.3 अ	हाईपर टेन्शन		
4.3 ब	डायबिटिज		
4.4	हाईपर टेन्शन व डाईबिटिज के ऐसे रोगी जिन्होने उपचार व अन्य यथा डायलिसस, कीमो थेरैपी आदि बीच में छोड़ दिया हो		
4.4 अ	हाईपर टेन्शन		
4.4 ब	डायबिटिज		
4.4 स	डायलिसिस		
4.4 द	कीमो थेरैपी		
4.5	हाईपर टेन्शन व डाईबिटिज के पूर्व से चिन्हित व नये रोगी जो उपचार व अन्य यथा डायलिसस, कीमो थेरैपी आदि नियमित रूप से ले रहे है।		
4.5 अ	हाईपर टेन्शन		
4.5 ब	डायबिटिज		
4.5 स	डायलिसिस		
4.5 द	कीमो थेरैपी		
5	**मलेरिया, डेंगू व उल्टी–दस्त के लिए एक्टिव सर्वेलेन्स**		
5.1	मलेरिया पॉजिटिव केसेज		
5.2	मलेरिया पॉजिटिव केसेज जिनकी आरटी पूर्ण हो गई।		
5.3	दस्त से ग्रसित 05 साल से छोटे बच्चे		
5.4	दस्त से ग्रसित बच्चे जिन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार ओ.आर.एस. व जिंक दिया गया हो।		
6	**सुपरवाईजर द्वारा विजिट किए गए घरों की संख्या**		

* कोमोर्बिड स्थिति यथा हाईपर टेंशन, डायबिटिज, हद्य रोगी, केन्सर, किडनी रोग व डायलिसिस।